न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाड़िया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 62/**19 (वि.प्रा.पत्र)**

1. श्री भेरू पिता भमरू गुर्जर निवासी बडियार तह. मावली।
2. श्री जयचन्द पिता भमरू गुर्जर निवासी बडियार तह. मावली।

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....विपक्षी

उपस्थित–1. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. राजपेरोकार मावली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक 27.07.2020

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम बडियार पटवार हल्का बडियार के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1408, 1457, 1464, 1468, 1469, 1470 किता 6 रकबा 7 बीघा उक्त वर्णित कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हम प्रार्थीगण के नाम बराबर–बराबर हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से अंकित है। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1480 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा उक्त वर्णित आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त के रूप में अंकित हैं। परिशिष्ट अ में वर्णित हम प्रार्थीगण की कृषि आराजीयात में आवागमन करने के लिए 30 फीट चौडा मार्ग मुख्य सडक (नेशनल हाईवे) से होकर मुख्य सडक (नेशनल हाईवे) के पश्चिम दिशा में स्थित परिशिष्ट ब में अंकित आराजी नम्बर 1480 की भूमि के बीच खाली पडी भूमि पर सदीप से बना हुआ हैं जिसे संलग्न नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शाया गया हैं। उक्त बने रास्ते के अलावा अन्य काई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है और न ही कभी कोई वैकल्पिक मार्ग रहा हैं। इसी मार्ग से होकर हम हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर सदीप से कृषि उपज, खाद, बीज आदि बैलगाडी, ट्रेक्टर द्वारा ला ले जा रहे हैं। इसके अलावा हम प्रार्थीगण की कृषि भूमि में आवागमन करने के लिए कोई मार्ग नहीं हैं।

2. यह कि हम प्रार्थीगण का मजबूत प्राइमाफैसी केस होकर सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दु भी हम प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। हम प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 02.09.2019 को उत्पन्न हुआ जब हम प्रार्थीगण ने विपक्षी से हमारी कृषि भूमि आराजी नम्बर 1464 एवं 1470 की सीमा तक पहुंचने के लिये उक्त परिशिष्ट ब में वर्णित बिलानाम भूमि में 30 फीट चौडा रास्ता नियमानुसार शुल्क जमा कर कायम करने बाबत् निवेदन किया।
3. अतः प्रार्थना है कि हम प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षी के विरूद्व निम्न आशय का आदेश प्रदान कराया जावें कि परिशिष्ट अ में वर्णित आराजीयात में से आराजी नम्बर 1464 एवं 1470 की सीमा तक पहुंचने के लिए (आराजी नम्बर 1464 एवं 1470 के सामने पूर्वी दिशा में) परिशिष्ट ब में अंकित भूमि आराजी नम्बर 1480 के मध्य में 30 फीट चौडा रास्ता कायम किया जावें एवं उक्त भूमि में कायम किये गये मार्ग का राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्शें में रास्ता के रूप में अमल दरामद व तरमीम किये जाने हेतु आदेशित किया जावें। उक्त भूमि में रास्ता कायम किये जाने बाबत् होने वाला समस्त व्यय एवं रास्ता बाबत् ली जाने वाली भूमि की कीमत न्यायालय के आदेशानुसार हम प्रार्थीगण वहन करने को तैयार हैं।
4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार मावली उपस्थित होकर जवाब पेश किया। प्रकरण में हमने तहसीलदार मावली से बिन्दूवार रिपोर्ट प्राप्त की।
5. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता राजपेरोकार द्वारा अपनी बहस में जवाब/बिन्दूवार रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा रास्ता दिये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।
6. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार मावली से निम्न बिन्दुओं पर रिपोर्ट मंगवाई गई। जिस पर बिन्दुवार निर्णय इस प्रकार है :–

   1. क्या प्रार्थीगण खातेदार की अपनी खातेदारी भूमि में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं तथा इसकी आत्यन्तिक आवश्यकता हैं ?

      प्रकरण में तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि आराजी नम्बर 1408, 1457, 1464, 1468, 1469, 1470 में आने जाने

हेतु विपक्षी के आराजी नम्बर 1480 बिलानाम गैर काबिल काश्त भूमि में प्रार्थीगण आने जाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण की भूमि से मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए रास्ता बना हुआ है जो राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं हैं। प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं हैं।

2. क्या प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी वाला हैं।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जो रास्ता कायमी के लिए प्रस्तावित किया गया हैं। जो न्यूनतम दूरी का हैं।

3. यदि प्रार्थीगण खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध हो सकता हैं तो वह प्रस्तावित करें।

तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता नहीं होना बताया।

4. प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा, किस्म तथा वर्तमान डी.एल.सी. दर अनुसार मूल्याकंन प्रस्तुत करें।

तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण विपक्षी के आराजी नम्बर 1480 में से 3 बिस्वा भूमि रास्ते के लिए प्रयुक्त हो रही हैं जो 30 फीट चौडी एवं 66 फीट लम्बी हैं जिसमें से 16 फीट सडक सीमा में होकर अवाप्तिधीन हैं। मौके पर अवाप्ति की कार्यवाही नहीं हुई हैं। वर्तमान में रास्ते हेतु कुल 1900 वर्गफीट अर्थात 3 बिस्वा जमीन रास्ते में आ रही है जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 1,67,130/– अक्षरे एक लाख सतसठ हजार एक सौ तीन रूपयें प्रतिबीघा हैं। जिस आधार पर प्रस्तावित रास्ता 3 बिस्वा की कुल कीमत 25,066/– अक्षरे पच्चीस हजार छियासठ रूपयें होना बताया हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं बिन्दूवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीगण अपनी भूमि मौजा बडियार पटवार क्षैत्र बडियार की आराजी नम्बर 1408, 1457, 1464, 1468, 1469, 1470 किता 6 रकबा 7 बीघा भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की भूमि आराजी नम्बर 1480 में से होकर रास्ता चाह रहे हैं। रास्ता पूर्व में सदीप से ही चला आ रहा हैं जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक जाता हैं। विपक्षी की आराजी में से प्रस्तावित 30 फीट चौडाई का रास्ता चाहा गया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में 30 फीट चौडाई का आराजी नम्बर 1480 में रकबा

8 बीघा 8 बिस्वा में से 3 बिस्वा का प्रस्तावित किया हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण के आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं हैं। न्यूनतम दूरी वाला 3 बिस्वा का रास्ता प्रस्तावित किया गया हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है। वह वर्तमान में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज हैं। चूंकि प्रार्थीगण के भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि में से होकर कोई रास्ता नहीं गुजरता हैं। इस हेतु राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 से कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्तें कायमी बाबत् बिलानाम सरकार भूमि में से रास्ता दिया जाने का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रकार डी. एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : <u>आदेश</u> : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडियार पटवार क्षैत्र बडियार की आराजी नम्बर 1408, 1457, 1464, 1468, 1469, 1470 किता 6 रकबा 7 बीघा भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 1480 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा में से 3 बिस्वा भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक 30 फीट चौडाई का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के क्रमांक प.3 (52) राज–0/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के अनुसार डीएलसी दर 1,67,103/– अक्षरे एक लाख सतसठ हजार एक सौ तीन रूपयें प्रतिबीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 3 बिस्वा की कुल कीमत 25,066/– का दुगुना 50,132/– रूपयें अक्षरे पचास हजार एक सौ बत्तीस रूपयें राशि प्रार्थीगण से वसूल कर राजकोष में जरिये चालान क्षतिपूर्ति के रूप में जमा करवाई जावें। उक्त राशि राजकोष में जमा कराने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व

रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.07.2020 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2020.07.28 17:41:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: